# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 182 /2022 तारीख रजू :– 18·7·22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/457

उनवान

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र सामन्ताराम जाति जाटव निवासी ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

––सायल

बनाम

सोहनलाल पुत्र परभाती निवासी ग्राम भोंडागांव तहसील वैर हाल निवासी बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

––गैरसायलान–03

| दिनांक | फर्द अहकाम |
| --- | --- |
| 18·7·22 | आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायल को भूमि का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने, नवनिर्माण निर्माण नहीं करने, बेदखल नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 804 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हों।<br><br>(अनुप सिंह)<br>उप खण्ड अधिकारी<br>हिण्डौन जिला करौली<br><br>22.8.22 वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। गतानुसार दिनांक 24-8-22 को पेश हों। |
| 24.8.22<br>Not Press<br>(देवी सिंह) | पत्रावली पेश हुई। सायल वकील उपस्थित। सायल वकील ने अवगत कराया कि सायल प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। सायल प्रकरण नोट प्रेस में खारिज कराना चाहता है। अतः मु० नं० 182/22 T.I लक्ष्मण प्रसाद बनाम सोहनलाल नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>हिण्डौन सिटी (करौली) |